1/2017 जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 01/2017 अनवानी श्री चन्द्रभान पुत्र श्री रामेश्वरलाल निवासी 56 एलएनपी पोस्ट हरखेवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

16–01–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री चन्द्रभान उपस्थित है। अपीलार्थी द्वारा प्रा0 पत्र पेश किया जा शामिल पत्रावली किया गया। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित है। दोनो पक्षो को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 17.11.2016 के द्वारा जिला रसद अधिकारी से 3 बिन्दुओ की सूचना जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर से चाही थी जो उनके द्वारा उसे उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाने का आदेश दिया जावे एवं दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक व विभागीय कार्यवाही की जावे।

विभागीय प्रतिनिधि का कथन है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में पत्र सं0 7466 दिनांक 15.12.16 से उसे सूचित किया गया था कि उचित मूल्य दुकानो का आवंटन खाद्य विभाग से प्राप्त दिशा निर्देशो के अनुसार किया जाता है। दिशा निर्देश की प्रति 2/– रू0 प्रति पेज की दर से 10 रूपये के पोस्टल ऑर्डर जमा करवाकर प्राप्त कर सकता है जो अपीलार्थी द्वारा जमा नही करवाई थी जिस कारण प्रति उपलब्ध नही करवाई गई थी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 17.11.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थीः–

> 1– ग्राम पंचायत जीवनदेसर के डिपो के चयन की प्रकिया किस आधार पर की गई है?
> 2– ग्राम पंचायत जीवनदेसर में आवेदिका (कविता) को किस प्राथमिकता के आधार पर चयन किया गया व प्रार्थी चन्द्रभान जो कि विकलांग कोटे से आवेदक था का चयन किस आधार पर नही किया गया। जबकि आवेदक चन्द्रभान दोनो पांवो से विकलांग है और समस्त शैक्षिक व अन्य योग्यताओं का पूर्ण करता है।
> 3– अतः चयन से संबंधित समस्त जानकारी लिखित में भेजने की कृपा करें।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन सं0 283 दिनांक 16.01.17 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध उनके कार्यालय के रजि0 पत्र क्रमांक 7466 दिनांक 15.12.16 से अपीलार्थी को सूचित किया गया कि उचित मूल्य दुकानो का आवंटन खाद्य विभाग से प्राप्त दिशा निर्देशो के अनुसार किया जाता है दिशा निर्देश की प्रति 2/– रूपये प्रति पेज की दर से 10/– रूपये के पोस्टल आर्डर इस कार्यालय में जमा करवाकर प्राप्त कर सकते है। प्रार्थी द्वारा आदिनांक तक निर्धारित फीस जमा नही कराई गई है। फीस जमा नही कराने के अभाव में प्रार्थी/अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नही कराई जा सकी।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

P T O

विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि अपीलार्थी के द्वारा सूचना हेतू निर्धारित शुल्क जमा करवा दिया गया है जिसके अनुसार उसे खाद्य एवं नागरिक आपूति विभाग के पत्र दिनांक 17.03.16 की प्रति दे दी गई है। जहां तक उसे उचित मूल्य की दुकान आवंटित करने का प्रश्न है इस संबंध में आवंटन सलाहकार समिति ही निर्णय हेतु सक्षम है।

चूंकि अपीलार्थी को खाद्य एवं नागरिक आपूति विभाग के पत्र दिनांक 17.03.16 की प्रति जिसमें उचित मूल्य दुकान आवंटन की प्रक्रिया है जो बिन्दु सं0 1 से संबंधित है जो उसे फीस जमा करवाने पर आज उपलब्ध करवा दी गई है। जहां तक बिन्दु सं0 2 व 3 की सूचना का संबंध है इसमें अपीलार्थी ने ग्राम पंचायत जीवनदेसर में आवेदिका कविता को किस प्राथमिकता के आधार पर चयन किया है और उसका चयन नही किया गया है की सूचना नही मिली है। जिला रसद अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि आवंटन सलाहकार समिति की बैठक जिसमें अपीलार्थी का चयन न कर अन्य आवेदक कविता का चयन किया गया है से संबंधित बैठक की कार्यवाही की प्रति अपीलार्थी को आदेश प्राप्ति से 7 दिवस में उपलब्ध करवाई जावे।

अतः उपरोक्तानुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

225-26
25-1-17

आदेश आज दिनांक 16.01.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा॰रा॰

(ज्ञाना राम)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर